

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक-1818

/1253 /बजट/09

भोपाल, दिनांक- 7-12-09

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश ।

विषय-वित्तीय वर्ष 2009-10 में अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु बजट आबंटन

उपरोक्त विषय में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को, उनके नाम समक्ष अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2009-10 में अतिथि विद्वानों के मानदेय भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु बजट आबंटन एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

S.N.	Name of College	Place	District	Amt in Rs
1	Govt College	Shahpur	Betul	144000-00
2	Govt Sanskrit College	Gwalior	Gwalior	24000-00
3	Govt Purushottam Sanskrit College	Khajurital	Satna	48000-00
4	Govt Jaywanti Haksar P G College	Betul	Betul	192000-00
5	Govt Dr Bhimrao Ambedkar College	Amla	Betul	96000-00
6	Govt Swami Vivekanand Degree College	Berasiya	Bhopal	96000-00
7	Govt P G College	Damoh	Damoh	288000-00
8	Govt Girls College	Guna	Guna	120000-00
9	Govt College	Aron	Guna	192000-00
10	Govt Girls College	Chachoda	Guna	120000-00
11	Govt College	Raghogarh	Guna	192000-00
12	Govt College	Bareli	Raisen	144000-00
13	Govt Girls College	Sehore	Sehore	24000-00

Ashish
5.12.2009

14	Govt College	Ichhawar	Sehore	48000-00
15	Govt Shrimant Maharaja Madhav Rao Sindhya College	Kolaras	Shivpuri	72000-00
16	Govt Girls College	Sidhi	Sidhi	168000-00
17	Govt College	Devsar	Singroli	96000-00
18	Govt Jawaharlal Nehru College	Nepanagar	Burhanpur	144000-00
19	Govt College	Sihawal	Sidhi	48000-00
20	Bhagatsingh Govt P G College	Jaora	Ratlam	600000-00
	Grand Total			2856000-00

(अठाईस लाख, छप्पन हजार)

राशि का आहरण एवं व्यय मांग संख्या-44-2202-03-104-7043-42 -007

(जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु) आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 के बजट से विकलनीय होगा ।

(2) उक्त आवंटन वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंतर्गत माह जुलाई-09 एवं इसके पश्चात् रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त अतिथि विद्वानों के लिए, आपके द्वारा विभाग स्तर पर उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर में अतिथि विद्वानों की उपस्थित दिनांक से किया जा रहा है । कृपया राशि का भुगतान उपस्थिति अनुसार गणना कर, देय होने पर भुगतान सुनिश्चित करें ।

(3) यह सुनिश्चित कर लें कि स्व-वित्तीय योजना अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के लिए की गई नियुक्तियों का भुगतान इसमें शामिल नहीं है ।

(4) अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान के संबंध में, निर्देश इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक-1170/491/आउशि/शा-2/09 दि० 04 जून-2009 की कडिका 14,15 के अनुसार सुनिश्चित करें ।

(5) संबंधित अतिथि विद्वान को मानदेय राशि के भुगतान / आवंटित राशि कोषालय से आहरण पश्चात् जानकारी प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त आवंटन की किश्त स्वीकृति पर विचार किया जावेगा ।

(6) उक्त आवंटन आयुक्त कोष-लेखा के सेंट्रल सर्वर पर लोड करा दिया गया है । मानदेय राशि भुगतान आदि के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए दायित्व संबंधित प्राचार्य का होगा ।


Behin
5.12.2009
(आशीष उपाध्याय)

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क0-1819 / 1253 / बजट / 2009
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक- 7/12/09

3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
4. समस्त कोषालय / उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश ।


संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश